संयुक्त प्रान्त नर्सें, धात्रियाँ सहायक धात्रियाँ, सहायक नर्स—धात्रियां तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1934 {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1934}

THE UNITED PROVINCES NURSES, MIDWIVES, ASSISTANT MIDWIVES, AUXILIARY NURSE-MIDWIVES AND HEALTH VISITORS REGISTRATION ACT, 1934

[U. P. Act No. XV of 1934]

{संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1934}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1944 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09 वर्ष 1945 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1948 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1952 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1954 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1960

द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लॉ) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लॉ आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

गवर्नर ने 07 जुलाई 1934 तथा गवर्नर जनरल ने दिनाँक 05 अगस्त, 1934 को स्वीकृत प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 81 के अन्तर्गत दिनाँक 25 अगस्त, 1934 को प्रकाशित हुआ।

आगरा व अवध के संयुक्त प्रान्त में नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स-धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक}² के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों}² के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था की जाय;

प्रस्तावना

और इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 80-ए (3) (एफ) के अधीन गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

1—— (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त नर्सें, धात्रियाँ, सहायक धात्रियाँ, (सहायक नर्स— धात्रियां तथा स्वास्थ्य परिदर्शक) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1934 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश}³ में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनाँक⁴ को प्रवृत्त होगा, जिसे {राज्य सरकार}⁵, {सरकारी गजट}⁶ में अधिसूचना द्वारा, निदेशित करे।

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में -

परिभाषाएं

- (क) "परिषद" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिसूचना" का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;
- 1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए असाधारण गजट दिनांक 9 दिसम्बर, 1933, पृष्ट 12 देखिये।
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
- एंडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (दो यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिए प्रतिस्थापित। शब्द "(आफ आगरा एंड अवध)" उपर्युक्त द्वारा निकाले गये।
- यह अधिनियम 1 जनवरी, 1937 से प्रवृत्त हुआ।
- 5. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (यू० पी० गवर्नमेन्ट गजट) के लिए प्रतिस्थापित।

{धारा 3-4}

- (ग) 'विहित' का तात्पर्य से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित से है;
- (घ) 'रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से सयुंक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से है;

सं0प्रा0 अधिनियम सं0 03 वर्ष 1917

- (ङ) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धारा 16 (1) (क) या (ख) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति से है;
- (च) "रजिस्टरों" से इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन रखे गए रजिस्टरों से है;
- (छ) धारा 2 (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए "रजिस्ट्रीकृत" का तात्पर्य इस अधिनियम से उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से है और "अरजिस्ट्रीकृत" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो;
- (ज) ''नर्स'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे {राज्य सरकार}¹ द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी संस्था से नर्सिंग में प्रमाण–पत्र मिला हो या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और इसके अन्तर्गत पुरूष नर्स भी होगा;
- (झ) "धात्री" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से धात्री कर्म में डिप्लोमा मिला हो या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;
- (ञ) "सहायक धात्री" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सहायक धात्री के रूप में डिप्लोमा मिला हो, या जो धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो; {***}²
- (ट) ''स्वास्थ्य परिदर्शक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे {उत्तर प्रदेश}⁵ स्वास्थ्य विद्यालय का या {राज्य सरकार}¹ द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी अन्य संस्था से स्वास्थ्य परिदर्शक का प्रमाण–पत्र मिला हो; {और}³
- $\{(5)$ ''सहायक नर्स—धात्री'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे परिषद् द्वारा तदर्थ मान्यताप्रान्त किसी संस्था से सहायक उपचारिका धात्री कर्म में प्रमाण—पत्र मिला हो। $\}^4$

3— एक परिषद् स्थापित की जाएगी और वह ''संयुक्त प्रान्त नर्स तथा धात्री परिषद्' कहलायेगी, तथा वह परिषद् एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी तथा उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

परिषद् की स्थापना और निगमन

4— (1) परिषद के {निम्नलिखित सदस्य}⁵ होंगे; अर्थात :-

परिषद की संरचना

((क) पदेन सदस्यों के रूप में -

- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 14, 1960 की धारा 5(1) द्वारा शब्द "ऐण्ड" निकाला गया।
- 3. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा जोड़ा गया।
- उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा जोड़ा गया।
- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1952 की धारा 2 (एक) के द्वारा अंक तथा शब्द (24 मेम्बर्स) के लिए प्रतिस्थापित।

(धारा 4)

- (1) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश;
- (2) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश;
- (3) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक (महिला), उत्तर प्रदेश;
- (4) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा सहायक निदेशक (प्रसूति तथा बाल कल्याण अनुभाग) उत्तर प्रदेश;
 - (5) अधीक्षक, नर्सिंग सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
 - (6) अधीक्षक, सिलवर जुबली स्वास्थ्य विद्यालय, लखनऊ; और
 - (7) अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद।}³
 - 4{(ख) निर्वाचित सदस्यों के रूप में :--
- (1) एक गैर-सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो राज्य चिकित्सा फैकल्टी {उत्तर प्रदेश} के शासी निकाय द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा;
- (2) {उत्तर प्रदेश} विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए गए दो सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी;
- (3) {उत्तर प्रदेश}¹ विधान परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया गया एक सदस्य:
 - (4) चार रजिस्ट्रीकृत नर्सें, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत नर्सों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;
- (5) रजिस्ट्रीकृत धात्रियों, सहायक नर्स–धात्रियों तथा सहायक धात्रियों} के दो प्रतिनिधि, जो उनके द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित किए जाएंगे;
- (6) एक रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य परिदर्शक, जो रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य परिदर्शकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
 - (ग) नाम-निर्देशित सदस्यों के रूप में :-
- (1) चार सदस्य, जो {उत्तर प्रदेश} के राजकीय चिकित्सालयों या राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालयों में सेवायोजित नर्सिंग अधीक्षकों, मैट्रनों तथा शिक्षिका सिस्टरों में से {राज्य सरकार} द्वारा नाम—निर्देशित किये जाएंगे;
- (2) एक सदस्य, जो किसी प्रशिक्षण संस्था के चिकित्सा अधीक्षकों में से {राज्य सरकार}² द्वारा नाम–निर्देशित किया जाएगा;
- (3) एक धात्री, जो किसी राजकीय चिकित्सालय या राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालय की कर्मचारी होनी चाहिए, जिसे {राज्य सरकार} द्वारा नाम—निर्देशित किया जाएगा;
- (4) {उत्तर प्रदेश} में निवास करने वाली एक रजिस्ट्रीकृत नर्स, जो ट्रेन्ड नर्सेज एसोसियेशन ऑफ इण्डिया की {उत्तर प्रदेश}¹ शाखा द्वारा नाम–निर्देशित की जाएगी।}⁴
- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित।
- उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 1948 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 5. उ० प्र० अधिनियम सं० १४, १९६० की धारा ६ द्वारा (एण्ड एसिस्टैन्ट मिडवाइब्ज) के लिए प्रतिस्थापित।

{धारा 5-8}

- {(2) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश, परिषद् के क्रमशः पदेन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे।}³
- (3) यदि कोई पदेन सदस्य कार्य करने से इन्कार कर दे या पदत्याग कर दे या यह समझा जाय कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है या वह सदस्यता से अनई हो जाय तो {राज्य सरकार}² इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी परिषद् में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नाम—निर्देशित करेगी।

5— यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय धारा 9 में निर्दिष्ट किसी रिक्ति की दशा में तीन मास के भीतर और किसी अन्य दशा में उस दिनाँक तक, जो विहित किया जाय, किसी अर्ह व्यक्ति को परिषद् का सदस्य होने के लिए निर्वाचित न करे तो {राज्य सरकार} सदस्य नाम—निर्देशित करेगी और इस प्रकार नाम—निर्देशित व्यक्ति परिषद् का ऐसा सदस्य समझा जाएगा, मानो वह ऐसे निकाय द्वारा यथाविधि निर्वाचित किया गया हो।

निर्वाचन न होने पर सदस्यों का नाम– निर्देशन

6— परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित, प्रत्येक व्यक्ति का नाम {राज्य सरकार} वारा {सरकारी गजट} में प्रकाशित किया जाएगा। सदस्यों के नामों का प्रकाशन

7— परिषद्, किसी भी सदस्य को छः मास से अनिधक अविध तक के लिए परिषदों की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी।

सदस्यों को अनुपस्थिति, छुट्टी

8-- (1) परिषद का कोई सदस्य :-

आकस्मिक रिक्तियाँ

- (क) यदि परिषद् द्वारा पर्याप्त समझे गए किसी कारण से अन्यथा, परिषद् की तीन लगातर बैठकों में अनुपस्थित रहे;
 - (ख) यदि लगातार छः मास से अधिक अवधि तक भारत के बाहर रहे; या
- (ग) यदि उसमें धारा 11 में उपवर्णित नियोग्यताओं में से कोई नियोग्यता हो जाय; या
- (घ) यदि धारा 4 (1), (ख) के अधीन निर्वाचित हो जाने पर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी न रहे जाए या उसका नाम रजिस्टरों से हटा दिया जाय; {या}⁴
- {(ङ) यदि नाम निर्देशित सदस्य होते हुए धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समुचित प्रवर्गों में न रह जाए तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है। }5
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त होने पर अध्यक्ष इस तथ्य की सूचना (राज्य सरकार) को तुरन्त देगा।

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (यू०पी० गवर्नमेन्ट गजट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{3.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1952 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा बढ़ाया गया।

^{5.} उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

धारा 9-12}

9— {यदि परिषद् के किसी सदस्य की, चाहे वह धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित किया गया हो या नाम—निर्देशित किया गया हो, मृत्यु हो जाय या वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दे या धारा 8 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन सदस्य न रह जाए तो ऐसी रिक्ति तीन मास के भीतर, धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति नये निर्वाचन या नाम—निर्देशन द्वारा और निर्वाचन न होने पर धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार नाम—निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।}²

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

10—— (1) परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि निर्वाचन या नाम— निर्देशन के दिनाँक से तीन वर्ष होगी : सदस्यों की पदावधि

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 9 के अधीन निर्वाचित या नाम—निर्देशित सदस्य की पदाविध उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नाम— निर्देशित हुआ हो, पदाविध की विशेष अविध होगी :

[प्रतिबन्ध यह और है कि यदि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) या (तीन) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य न रह जाय तो वह परिषद् का सदस्य न रह जाएगा।]3

(2) कोई पदावरोही सदस्य, यदि वह धारा 11 के अधीन (अनर्ह) न हो तो पुनः निर्वाचन या पुनः नाम—निर्देशन या पात्र होगा।

11-- कोई व्यक्ति परिषद् या सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि :--

सदस्यों के लिए अनर्हताएं

- (क) उसे किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जो तीन मास से अधिक अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डनीय हो, कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो और बाद में ऐसे दण्ड को उलट न दिया गया हो या उसका परिहार न कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा न कर दिया हो और ऐसे दण्ड के कारण उस व्यक्ति की अनर्हता का ऐसे आदेश द्वारा, जिसे {राज्य सरकार} यदि वह ठीक समझे तो तदर्थ करने के लिए एतद्द्वारा सशक्त है, परिहार न किया गया हो;
 - (ख) वह अनुमुक्त दिवालिया हो; या
 - (ग) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त निर्णीत हुआ हो।
- 12—— (1) परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आठ सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति न हो।

गणपूर्ति और मतदान

(2) धारा 21 (1) में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, या मत बराबर होने की दशा में परिषद् के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थित में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के या द्वितीय या निर्णायक मत से किया जाएगा।

- 2. उ० प्र० अधिनियम सं० ३५, १९५२ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।
- उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1954 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

{धारा 13-16}

13— परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न समझी जाएगी कि परिषद् में कोई रिक्ति थी या परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने वाले किसी सदस्य के निर्वाचन या नाम—निर्देशन में कोई दोष था।

कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधना

14—— (1) इस अधिनियम के तथा इस अधिनियम के अधीन {राज्य सरकार} वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बनाएगी :—

परिषद् की बैठक तथा समितियों का संगठन

- (क) कार्य सम्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत सदस्यों में पत्रों को परिचालित करके अपाती विषयों पर विनिश्चयों का तथा परिषद् के समक्ष किसी विशिष्ट विषय पर परिषद् को सलाह देने के लिए विशेष रूप से अहित व्यक्तियों की सहयोजित करने का उपबन्ध भी है;
 - (ख) वह समय जब और वह स्थान, जहाँ उसकी बैठकें की जाएगी;
 - (ग) उनमें कार्य का संचालन; और
- (घ) समितियों का संघटन, ऐसी समितियों को परिषद् की इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों अथवा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन और ऐसी समितियों की अपने कार्य सम्पादन में गणपूर्ति तथा प्रक्रिया।
- (2) उस समय तक जब तक कि उपधारा (1) में उल्लिखित विनियम न बना जायं, परिषद् के अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा ऐसे समय तथा स्थान पर, जो वह उचित समझे, परिषद् की बैठक ब्लाये।

15— परिषद् तथा समितियों के सदस्यों को ऐसे यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य व्ययों का भुगतान किया जाएगा, जो धारा 33 (3) (घ) के अधीन विनियमों द्वारा समय—समय पर विहित किए जायं।

सदस्यों को व्ययों का भुगतान

16—— (1) परिषद् {राज्य सरकार}¹ की पूर्व मंजूरी से —

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

- (क) एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी;
- (ख) उस रजिस्ट्रार को छुट्टी स्वीकृत कर सकेगी तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी; और
- (ग) रजिस्ट्रार को तथा उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को, यदि कोई हो, ऐसा वेतन तथा भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जिन्हें परिषद् अवधारित करे।
- (2) परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी तथा ऐसे अन्य लिपिक और सेवक नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और उन्हें ऐसे वेतन और ऐसे भत्ते (यदि कोई हो) देगी, जो परिषद् {राज्य सरकार}¹ की पूर्व मंजूरी से अवधारित करे।
 - (3) रजिस्ट्रार, परिषद् के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

धारा 17-20}

17— (1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र सुविधानुसार और समय—समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स—धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} की अपनी—अपनी अर्हता के अनुसार उनके रिजस्टरों के बनाए जाने, रखे जाने तथा प्रकाशन को विनियमित करने के लिए आदेश दे सकेगी।

रजिस्टरों के रखे जाने के सम्बन्ध में परिषद् के आदेश

(2) उक्त रजिस्टर ऐसे प्रपत्र या प्रपत्रों में रखे जाएंगे, जो विहित किए जायं।

18—— (1) रजिस्ट्रार इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार धारा 17 में उल्लिखित रजिस्टरों को रखेगा और ऐसी नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स—धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक}² के रजिस्ट्रीकृत पतों या नियुक्तियों में समय—समय पर समस्त आवश्यक परिवर्तन करेगा और किन्हीं ऐसी रजिस्ट्रीकृत नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स—धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक}² के नाम रजिस्टर से काट देगा, जिनकी मृत्यु हो गई हो या जिन्होंने भारत में रहना और व्यवसाय करना छोड़ दिया हो।

रजिस्टरों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के कृत्य

(2) रजिस्ट्रार उपधारा (1) द्वारा उसको अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स-धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत पते या नियुक्ति के अनुसार सम्बोधित पत्र, यह पता लगाने के लिए भेज सकेगा कि क्या उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया है या उसकी नियुक्ति में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि ऐसा पत्र प्रेषित किए जाने के छः मास की अविध के भीतर उसका कोई उत्तर प्राप्त न हो तो रजिस्ट्रार उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से काट सकेगा, जिसमें वह प्रविष्ट हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन काटा गया कोई नाम परिषद् के निदेश के अधीन रजिस्टर में फिर से प्रविष्ट किया जा सकेगा।

19—— (1) मृत्यु सम्बन्धी प्रत्येक रिजस्ट्रार, जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त करे, जिसके नाम के बारे में उसे यह ज्ञात हो कि वह नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स-धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} के रिजस्टरों में से किसी रिजस्टर में प्रविष्ट है, मृत्यु के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ देते हुए, ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र रिजस्टार को अविलम्ब डाक द्वारा भेजेगा।

मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर रजिस्टरों से नामों को काटना

(2) ऐसे प्रमाण–पत्र या ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार मृत व्यक्ति का नाम, उस रजिस्टर से काट देगा, जिसमें वह प्रविष्ट हो।

20— नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स-धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} के रिजस्टरों में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जिसके सम्बन्ध में परिषद् के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाय कि वह कपटपूर्ण या गलत ढंग से की गई है, परिषद् के लिखित आदेश के अधीन हटाई जा सकेगी:

कपटपूर्ण तथा गलत प्रविष्टियों का रजिस्टर से हटाया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा और उसकी आपत्तियों की, यदि कोई हो, सुनवाई की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 8 (1) (क) तथा 8 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 9 तथा धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 21-23

21— (1) परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, {सहायक नर्स–धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} के रजिस्टरों में किसी नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स–धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उससे हटाने का निदेश दे सकेगी या ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलम्बित कर सकेगी, यदि निम्नलिखित आधारों में से कोई आधार हो; अर्थात् :—

रजिस्टर में नाम प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध करने या उसे हटाने का निदेश देने आदि की परिषद् की शक्ति

- (क) कि ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा किसी अजमानतीय अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि तत्पश्चात् अपास्त नहीं की गई है या उसका परिहार नहीं किया गया है या अपराधी को क्षमा नहीं किया गया है;
- (ख) कि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण का दोषी रहा है, जिससे परिषद् की राय में, यह उपदर्शित होता हो कि वह नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स–धात्री या स्वास्थ्य परिदर्शक}³ के रूप में व्यवसाय करने के लिये ठीक या उचित व्यक्ति नहीं है;
- (ग) कि उस व्यक्ति के चरित्र में ऐसे दोष हैं जिनके कारण, परिषद् की राय में उसका नाम रजिस्टरों में प्रविष्ट करना या बनाये रखना अवांछनीय है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह सम्यक् जाँच के पश्चात् (जिसमें संबद्ध व्यक्ति को अपने प्रतिवाद में सुनवाई का तथा या तों स्वयं या विधि परामर्शदाता, वकील, प्लीडर या अटार्नी द्वारा उपस्थित होने का अवसर दिया जायेगा और जो परिषद् के अध्यक्ष के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी), परिषद् की बैटक में उपस्थित और मत देने वाले दो—तिहाई सदस्य बहुमत से यह न पाये कि सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का आधार है।

- (2) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो रजिस्टरों में, यथास्थिति, प्रविष्ट या पुनः प्रविष्ट किया जायेगा या प्रविष्ट बना रहेगा।
- 22— धारा 20 या धरा 21 के अधीन परिषद् के आदेश से व्यकथत कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की सूचना पाने के दिनांक से तीन माल के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध (राज्य सरकार) को अपील कर सकेगा और ऐसी किसी अपील पर (राज्य सरकार) का विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिषद के आदेश के विरूद्ध

23— निम्नलिखित व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीसों का, जो विहित की जाय, भुगतान करने पर नर्सों, धात्रियों, सहायक धात्रियों, [सहायक नर्स-धात्रियों या स्वास्थ्य परिदर्शकों] के रजिस्टरों में अपने नाम प्रविष्ट कराने के हकदार होंगे; अर्थात् :-

रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार व्यक्ति

- {(क) ऐसे व्यक्ति जो इण्डिया नर्सिंग काउन्सिल ऐक्ट, 1947 के अधीन नर्सिंग या धात्रीकर्म या स्वास्थ्य परिदर्शन में मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखते हों ;
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा फैकल्टी के सहायक धात्री या प्रमाणित धात्रीकर्म के प्रमाण–पत्र मिले हो; और
- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
- 3. उपर्युक्त की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

{धारा 24-28}

(ग) ऐसे व्यक्ति जो इण्डिया नर्सिंग काउंसिल ऐक्ट, 1947 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन पारस्परिकता की योजना के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट के अधीन संघटित इण्डिया काउंसिल आफ नर्सिंग द्वारा नर्सों, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों या स्वास्थ्य परिदर्शकों} के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों :}

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी नर्सों, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर {उत्तर प्रदेश} राज्य चिकित्सा फैकल्टी द्वारा रखे गए रजिस्टरों में नामांकित हों, इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले समुचित रजिस्टरों में अपने नाम, अपनी अर्हताओं के अनुसार अन्तरित कराने का हक होगा।

24-- [* * *]⁵

25— इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र किसी व्यक्ति को संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम, 1917 के अधीन रिजस्ट्रीकृत होने का या कोई ऐसी पदवी, नाम या पदनाम धारण करने का जिससे यह विवक्षित होता हो कि ऐसा व्यक्ति रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है या वह कोई चिकित्सा प्रमाण—पत्र या मृत्यु अथवा रोगों के मामलों को हाथ में लेने का, कोई अधिकार या हक प्रदान न करेगा।

रजिस्ट्रीकरण, सेयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3,1917 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हित करने वाला न होगा

26— {राज्य सरकार} अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की सामान्य या विशेष मंजूरी के सिवाय कोई व्यक्ति जब तक कि वह नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स—धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} के रूप में रिजस्ट्रीकृत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, किसी ऐसे औषधालय, चिकित्सालय, उन्मत्तालय, रूग्णावास, प्रसवाश्रम या मातृ और शिशु कल्याण केन्द्र में, जिसे पूर्णतः या अंशतः सार्वजिनक निधियों से आश्रय मिलता हो या उसके सम्बन्ध में, कोई ऐसी नियुक्ति धारण न करेगा, जिसका पदनाम मैट्रन, नर्सिंग सिस्टर अधीक्षक, स्टाफ नर्स, नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स—धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} हो या जिससे यह उपदर्शित होता हो कि उक्त नियुक्ति के धारक को नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स—धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक हो के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की निर्योग्यता

27— इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त फीसों तथा अन्य धनराशियों का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाय। फीसों का व्ययन

28—— (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा तदर्थ नियत दिनाँक को या उसके पूर्व नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} के रजिस्टरों में तत्समय प्रविष्ट नामों की शुद्ध सूचियाँ मुद्रित तथा प्रकाशित कराएगा, जिसमें निम्नलिखित बाते दी हुई होगी —

वार्षिक सूचियों का प्रकाशन तथा उसमें की गई प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिए प्रतिस्थापित।

^{3.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३५, १९५२ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 12 (2) तथा 12 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{5.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1952 की धारा 6 द्वारा निकाली गयी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 13 तथा धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 29-30}

- (क) रजिस्टरों में प्रविष्ट समस्त नाम, जो कुलनामों के अनुसार वर्णक्रम से रखे गए हों;
- (ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत पता या नियुक्ति, जिसका नाम किन्हीं भी रजिस्टरों में इस प्रकार प्रविष्ट हो; और
- (ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रिजस्ट्रीकृत अर्हता और वह दिनाँक जब ऐसी अर्हता प्रमाणित की गई।
- (2) प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी सूचियों में से नवीनतम सूची में प्रविष्ट हो, इस अधिनियम के अधीन यथाविधि रजिस्ट्रीकृत है और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम प्रविष्ट न हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसका नाम ऐसी मुद्रित सूचियों में न हो, नर्सी, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} के रिजस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की, रिजस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिषद् को मुद्रा से मुद्रांकित प्रमाणित प्रति इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत है और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार रिजस्ट्रीकृत है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि रिजस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और परिषद् की मुद्रा से मुद्रांकित प्रमाण—पत्र, जिसमें यह कथित हो कि यथास्थिति, नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} की सूची में प्रविष्ट किसी व्यक्ति का नाम ऐसे रिजस्टर से हटा दिया गया है और इस प्रकार हटाए जाने के दिनाँक विनिर्दिष्ट हो, इस बात का कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत नहीं है तथा उस दिनाँक का जब से वह रिजस्ट्रीकृत नहीं रहा या रही, साक्ष्य होगा और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रत्येक न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट दिनाँक से रिजस्ट्रीकृत नहीं रह गया।

29— परिषद् इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} के सम्बन्ध में स्थानीय पर्यवेक्षण के लिए {राज्य सरकार} की पूर्व मंजूरी से ऐसा प्रबन्ध कर सकेगी, जो वह उचित समझे।

स्थानीय पर्यवेक्षण के लिए प्रबन्ध करने की शक्ति

30-- कोई व्यक्ति. जो -

- (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे या किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का बेईमानी से उपयोग करेगा;
- (ख) कोई झूठी या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या व्यपदेशन, चाहे लिखित रूप से या अन्यथा, करके या उपास्त करके अथवा कराकर या उपास्त कराकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रिजस्ट्रीकरण उपास्त करेगा या उपास्त करने का प्रयत्न करेगा; या
- (ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखे गए रिजस्टरों या दिए गए प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित किसी विषय में कोई मिथ्याकरण जानबूझकर करेगा या कराएगा, वह दोषसिद्धि होने पर जुर्माने से, जो तीन सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्रमाण पत्र का बेईमानी से उपयोग करने, झूठे उपायों से रजिस्ट्रीकरण उपास्त करने तथा रजिस्टर या प्रमाण पत्र के मिथ्याकरण के लिए शास्ति

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

{धारा 31-33}

31— कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न होते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स-धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक}³ का नाम या पदवी ग्रहण करेगा या उसका उपयोग करेगा या किसी ऐसे नाम, पदवी, परिवर्द्धन, वर्णन, साइनबोर्ड या ऐसी किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करेगा, जिससे यह विवक्षित होता हो कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स-धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक}³ है, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो प्रथम अपराध की दशा में पचास रूपये तक हो सकेगा और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, तीन सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने को रजिस्ट्रीकृत व्यपदिष्ट निरूपित करने पर शास्ति

32— (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान {राज्य सरकार} के आदेश से किए गए या {राज्य सरकार} की पूर्व मंजूरी से परिषद् द्वारा किए गए किसी परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान

- (2) जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण न करेगा।
- 33— (1) {राज्य सरकार} इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत {नियम}², पूर्व प्रकाशन के पश्चात् समय-समय पर, बना सकेगी।

नियम और विनियम

- (2) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, {राज्य सरकार}¹ निम्नलिखित के सम्बन्ध में {नियम}² बना सकेगी —
 - (क) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों को विनियमित करना;
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों}⁴ के रजिस्टरों के प्रपत्र या प्रपत्रों को विहित करनाः
 - (ग) रजिस्ट्रीकृत नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों} द्वारा अपनी वृत्ति का व्यवसाय किए जाने का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना तथा समृचित सीमाओं के भीतर उसे निर्बन्धित करना;
 - (घ) ऐसे प्राधिकारियों की, जिन पर स्थानीय पर्यवेक्षण का भार हो, शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य विहित करना;
 - (ङ) परिषद् द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करना –
 - (1) इस अधिनियम की धारा 21 (1) के परन्तुक के अधीन किसी जाँच का संचालन; और
 - (2) रजिस्टरों में किसी नाम की प्रविष्टि के प्रतिषेध या निलम्बन के आदेश को वापस लेना या किसी ऐसी नर्स, धात्री, सहायक धात्री, {सहायक नर्स-धात्री तथा स्वास्थ्य परिदर्शक} का, जिसका नाम रजिस्टरों से हटाया जा चुका हो, नाम रजिस्टरों में पूनः प्रविष्ट करना;

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} नियमों के लिए विज्ञप्ति सं0 3914 पांच—308—38, दिनांक 5 जनवरी, 1939 देखें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 14, 1960 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उपर्युक्त की धारा 17 (1) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 17 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

{धारा 34-35}

- (च) परिषद् के निर्णयों के विरूद्ध की जाने वाली अपीलों को निपटाने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना; और
- (छ) इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए परिषद् द्वारा प्राप्त फीसों तथा अन्य धनराशियों के उपयोग को विनियमित करना।
- (3) धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, परिषद् {राज्य सरकार} की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगी
 - (क) रजिस्टरों को रखने तथा धारा 23 {***}² के अधीन उसमें प्रविष्टि की शर्तों को विनियमित करना तथा ऐसी प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्रपत्र विहित करना;
 - (ख) {नर्सो, धात्रियों, सहायक धात्रियों}³ {सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों}⁴ {की परीक्षाओं का}³ या ऐसी किन्हीं {अन्य}⁵ परीक्षाओं का, जो रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए किसी शर्त के रूप में विहित की जाएं, संचालन विनियमित करना तथा ऐसी परीक्षाओं के आनुषंगिक या उनसे सम्बन्धित कोई विषय;
 - (ग) यात्रा सम्बन्धी और अन्य व्यय रजिस्टर से काटे गए या हटाए गए नामों की प्रविष्टि के लिए भुगतान को विहित करना;
 - (घ) रजिस्ट्रीकृत नर्सो, धात्रियों, {सहायक नर्स धात्रियों सहायक नर्स धात्रियों तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों}⁴ की वार्षिक सूचियों के प्रकाशन को विनियमित करना;
 - (ङ) परिषद् या समितियों के सदस्यों को देय यात्रा सम्बन्धी और अन्य व्ययों को विहित करना;
 - (च) परिषद् के लेखाओं को विनियमित करना तथा उनकी संपरीक्षा; ओर
 - (छ) सामान्यतया किन्हीं ऐसे विषयों के लिए, जिनके सम्बन्ध में परिषद् यह समझे कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था करना तथा ऐसी कोई बात विहित करना, जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी हो।
- (4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम और विनियम {सरकारी गजट} में प्रकाशित किए जाएंगे।

34— धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। कतिपय व्यक्ति लोक सेवक होंगे 1860 का ऐक्ट सं0 45

35— धारा 21 के अधीन की गई किसी जाँच के प्रयोजन के लिए परिषद् की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जाएगा और वह पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रत्येक जाँच का संचालन, यथासम्भव, उक्त पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) ऐक्ट, 1850 की धारा 5 तथा धारा 8 से 10 तक के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

जॉचों तथा अपीलों में प्रक्रिया 1872 का ऐक्ट सं0 01 वर्ष 1850 का ऐक्ट सं0 27

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1952 की धारा 7 द्वारा शब्द और अंक ''ऐन्ड सेक्शन 24'' निकाले गये।

^{3.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16, 1948 की धारा 5 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 14, 1960 की धारा 17 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{5.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 1948 की धारा 5 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (यू० पी० गवर्नमेन्ट गजट) के लिए प्रतिस्थापित।

(धारा 36-37)

36— {राज्य सरकार} पिरषद् या रिजस्ट्रार की इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

वादों तथा विधिक कार्यवाहियों का वर्जन

37— यदि किसी समय {राज्य सरकार} को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है या उसकी सीमा का उल्लंघन किया है या उसका दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो {राज्य सरकार} उस दशा में जब वह शक्ति का इस प्रकार प्रयोग न करने, उसकी सीमा का उल्लंघन करने या उसका दुरूपयोग करने को गम्भीर प्रकार का समझे, परिषद् को उनकी विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगी और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर, जो {राज्य सरकार} द्वारा तदर्थ नियत किया जाए, ऐसे व्यतिक्रम, सीमा के उल्लंघन या दुरूपयोग का उपचार न करे तो {राज्य सरकार} परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अविध के लिए करा सकेगी, जिसे यह उचित समझे :

राज्य सरकार द्वारा परिषद् का नियंत्रण

प्रतिबन्ध यह है कि वह धारा 4 के निबन्धनों के अनुसार नई परिषद् संघटित करने के लिए स्विधान्सार यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी।

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

THE UNITED PROVINCES NRSES, MIDWIVES, ASSISTANT MIDWIVES [AUXILIARY NURSE-MIDWNES AND HEALTH VISITORS] REGISTRATION ACT, 1934¹

[U. P. ACT No. XV OF 1934]

Amended by the-U. P. Act no. I V of 1944 U. P. Act no. IX of 1945 U. P. Act no. X VI of 1948 U. P. Act no. XXXV of 1952 U. P. Act no. XX V of 1954 U. P. Act no. XIV of 1960

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws)
Order, 1937

adapted and modified by the Adaptation of Indian Order, 1950

[Received the assent of the Governor on July 7, 1934 and of the Governor-General on August 5, 1934, and was published under section III of the Government of India Act on August 25,1934]

AN

ACT

to provide for the registration of Nurses, Midwives, Assistant Midwives [Auxiliary Nurse-Midwives and Health Visitors]² in the United Provinces of Agra and Oudh.

WHEEAS it is expedient to provide for the registration of nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]² in the United Provinces:

And whereas the previous sanction of the Governor-General under section 8o-A (3) (f) of the Government of India Act has been obtained to the passing of this Act;

It is hereby enacted as follows :--

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the United Provinces Nurses, Midwives, Assistant Midwives, [Auxiliary Nurse-Midwives and Health Visitors]² Registration Act, 1934.
 - (2) It extends to the whole of [Uttar Pradesh]³.
 - (3) It shall come into force on such date as the [State Government]⁴ may, by notification in the [Official Gazette]⁵ direct.

Definitions

- 2. In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context-
 - (a) "the Council" means the Council under section 3 of this Act;
 - (b) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

^{1.} For S. O. R. see Gas, Extra. d. Dec. 9. 1933, p. 12.

^{2.} Subs. by s. 2 of U. P. Act XIV of 1960.

^{3.} Subs. by the A. O. 1950 for (the United Provinces). The words (of Agra and Oudh) omit. by ibid.

^{4.} The Act came in to force on Jan. 1. 1937.

^{5.} Subs. by the A. O. 1950 for Provincial Government.

^{6.} Subs. for U. P. Govt. Gazette by the A. O. 1937.

- (c) "prescribed" means prescribed by the rules and regulations made under this Act;
- (d) "registered medical practitioner" means a person registered under the United Provinces Medical Act, 1917;
- (e) "the Registrar" means a person appointed under section 16 (1) (a) or (b) to perform the duties of the Registrar under this Act;
 - (f) "registers" means the registers maintained under section 17 of this Act;
- (g) subject to the provisions of section 2 (d) "registered" means registered under the provisions of this Act, and "un- registered" means not registered under the provisions of this Act;
- (h) "nurse" means a person who holds a certificate in nursing from any institution notified by the [State Government]¹ in this behalf or who has been registered under clause (b) of section 23 and shall include a male nurse;
- (i) "midwife" means a person who holds a diploma in midwifery from any institution recognized by the Council in this behalf, or who has been registered under clause (b) of section 23;
- (j) "assistant midwife" means a person who holds a diploma as an assistant midwife from any institution recognized by the Council in this behalf or who has been registered under clause (b) of section 23; [***]²
- (k) "health visitor" means a person who hold s a health visitor's certificate of [Uttar Pradesh]⁵ Health School or of any other institution notified by the [State Government]¹ in this behalf, [and]³
- [(1) "auxiliary nurse-midwife" means a person who holds a certificate in auxiliary nurse-midwifery from any institution recognized by the Council in this behalf.]⁴

Establishment and incorporation of the Council

3.

A Council shall be established and called "the United Provinces Nurses and Midwives Council" and such Council shall be a body corporate and have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

Constitution of the Council

- (1) The Council shall consist of [the following members]⁵ namely:-
 - (a) As ex-officio members --

- 1- Subs. by A. O. 1950 (Provincial Government)
 - 2- The word 'and' delete by s, 5(i) of U. P. Act XIV of 1960.
 - 3- Add. by section 5 (ii) ibid.
 - 4- Add. by section 5 (iii) ibid.
 - 5- Subs. by section 2 (1) of U, P. Act XXXV of 1952 for the figure and the word (24 members.)

- (i) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;
- (ii) the Additional Director of Medical and Health Services Uttar Pradesh;
- (iii) the Deputy Director of Medical and Health Services (Women), Uttar Pradesh;
- (iv) the Assistant Director of Medical and Health Services (Maternity and Child Welfare Section), Uttar Pradesh;
- (v) the Superintendent of Nursing Services, Uttar Pradesh, Lucknow:
- (vi) the Superintendent, Silver Jubilee Health School, Lucknow; and
- (vii) the Superintendent, Kamla Nehru Hospital, Allahabad.]³

⁴[(b) Elected Members-

- (i) One non-official registered medical practitioner to be elected by the Governing Body of the State Medical Faculty, [Uttar Pradesh]¹ from among its own members;
- (ii) Two members of [Uttar Pradesh]¹ Legislative Assembly elected by the members of that Assembly of whom one at least should be a woman:
- (iii) One member of [Uttar Pradesh]¹ Legislative Council elected by the members of that Council;
 - (iv) Four registered nurses to be elected by the registered nurses;
- (v) Two representatives of the registered, [auxiliary nurse midwives, midwives and assistant' midwives]⁵ to be elected jointly by them;
- (vi) One registered Health Visitor elected by the registered Health Visitors.

(c) Nominated members-

- (i) Four members to be nominated by the [State Government]² from among Nursing Superintendents, Matrons and Sister Tutors employed in State or State-aided hospitals in [Uttar Pradesh]¹;
- (ii) One member to be nominated by the [State Government]¹ from among Medical Superintendents belonging to a training institution;
- (iii) One midwife to be nominated by the [State Government]² who should be an employee of a Government or State aided hospital;
- (iv) A registered nurse resident in [Uttar Pradesh] nominated by [Uttar Pradesh] Branch of the Trained Nurses Association of India.]

¹⁻ Subs. by the A. O. 1950 for (United Provinces.)

²⁻ Subs, by the A. O. 1950 for (Provincial Government).

³⁻ Subs. by section 2(2) of U. P. Act XXXV or 1952

⁴⁻ Subs. by section 2 of U. P. Act XVI of 1948.

⁵⁻ Subs. for and assistant midwives' by S. 6 of U. P. Act XIV of 1960.

- [(2)The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh and the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh shall be the ex-officio President and Vice-president respectively of the Council.]³
- (3) If an ex-officio member refuses to act Or resigns or is deemed to have vacated his seat or is disqualified from membership the [State Government]² shall, notwithstanding the provisions of sub-section (1) of this section, nominate some other person to the Council in his place.

Nomination of members in default of election

5. If any electoral body referred to in section 4 does not, in the case of a casual vacancy referred to in section 9 within three months and in any other case by such date as may be prescribed, elect a qualified person to be a member of the Council, the [State Government] shall nominate a member, and the person so nominated shall be deemed to be a member of the Council as if duly elected by such body.

Publication of names of members

6. The name of every person elected or nominated a member of the Council shall be published by the [State Government]¹ in the [Official Gazette]².

Leave of absence to members

7. The Council may permit any member to be absent from meting of the Council for a period not exceeding six months.

Casual vacancy

- 8. (1) A member of Council shall be deemed to haw vacated his seat --
 - (a) if absent, otherwise than for a reason considered adequate by the Council, from three consecutive meetings of the Council;
 - (b) if out of India for a period exceeding Six consecutive months; or
 - (c) if he becomes subject to any of the disabilities set-forth in section II; or
 - (d) if, having been elected under section 4 (1) (b) he ceases to be registered medical practitioner or his name is removed from the registers as the case may be; [or]⁴
 - [(e) If being a nominated member he ceases to belong to the appropriate categories referred to in sub-section (1) of section (4).]⁵
 - (2) On the occurrence of any vacancy referred to in sub-section (1), the President shall forthwith report the fact of such vacancy to the [State Government]¹.

- 1. Subs, by the A. O. 1950 for Provincial Government.
- 2. Subs. for U. P. Govt. Gazette by the A. O. 1937.
- 3. Subs, by section 2(2) of U. P. Act No. XXXV of 1952.
- 4. Added by section 3(a) ibid.
- 5. Ins. by s, 3 (b) of ibid.

Filling casual vacancies

9.

[If any member of the Council, whether elected or nominated, under subsection (1) of section 4 dies or resigns his membership or ceases to be a member under the provisions of sub-section (1) of section 8, the vacancy shall be filled within three months by a fresh election or nomination, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4 and in default of election, by nomination in accordance with the provisions of section 5.]²

Term of office of members

10. (1) The term of office of members of the Council other than ex-officio members, shall be three years from the date of election or nomination:

Provided that the term of office of a member elected or nominated under section 9 shall be the residue of the term of office of the member in whose place he was elected or nominated:

[Provided further that where a member elected under sub-clause (ii) or (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section (4) ceases to be a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, as the case may be, he shall cease to be a member of the Council.]³

(2) An outgoing member, if not disqualified under section 11, shall be eligible for re-election or re nomination.

Disqualification for membership

11. A person shall be disqualified for being a member of the Council if such person-

(a) has been sentenced by a criminal court to imprisonment for an 'offence punishable with imprisonment for a term exceeding three months or to transportation, such sentence not having subsequently been reversed or remitted or the offender pardoned, and such persons disqualification on account of such sentence not having been remitted by an order which the [State Government]¹ is hereby empowered to make, if it thinks fit, in this behalf:

- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind.

Quorum and voting

- 12. (1) No business shall be transacted at a meeting of the Council unless a quorum of eight members be present.
 - (2) Save as otherwise provided in section 21(1), all questions arising at a meeting of the Council shall be decided by the votes of the majority of the members present and voting or in the case of an equality of votes by the second or casting vote of the President of the council or in his absence, of the member presiding at the meeting.

- 1. Subs. by the A, 0, 1950 for 'Provincial Govt.
- 2. Add by section 3 (a) of U. P. Act XXXV of 1952.
- 3. Add by section 2 of U. P. Act XXV of 1954.

Validity of acts and proceedings 13.

No act or proceeding of the Council shall be deemed invalid merely by reason of a vacancy in the Councilor of a defect in the erection or nomination of a person acting as a member of the Council.

Meeting of the Council and constitution of committees

- 14. (1) The Council shall, subject to the provisions of this Act and of any rules made by the [State Government]¹ under this Act, make regulations in respect of--
 - (a) the mode of transaction of business including provision for decisions on emergent matters by circulation of papers to members, and for co-opting persons specially qualified to advise on any particular matter before the Council;
 - (b) the times and places at which its meetings shall be held;
 - (c) the conduct of business thereat; and
 - (d) the constitution of committees the delegation to such committees of any powers or duties of the Council under this Act, and the quorums and procedure of such committees in the transaction of their business.
 - (2) Until such time as the regulations referred to in sub-section (1) have been made it shall be lawful for the President of the Council to summon a meeting of the Council at such time and place as he thinks fit, by letter addressed to each member of the Council.

Payment of expenses to Members

15. There shall be paid to the members of the Council and Committees such travelling and other expenses as may from time to time be prescribed by regulations under section 33 (3) (d).

Appointment of Registrar and other officers

- 16. (1) With the previous sanction of the [State Government] the Council --
 - (a) shall appoint a Registrar;
 - (b) may grant leave to such Registrar and appoint a person to act in, his place; and
 - (c) shall pay to the Registrar and to the person, if any, appointed to act in his place such salary and allowances (if any) as the Council may determine.
 - (2) The Council may appoint such other officers and such clerks and servants as it may consider necessary for the purpose of this Act, and shall pay them such salaries and such allowances (if any) as with the previous sanction of the [State Government] the Council may determine.
 - (3) The Registrar shall act as Secretary and Treasurer to the Council.

Orders by Council for maintenance of registers

- 17. (1) The Council shall, as soon as conveniently may be after this Act comes into force, and from time to time as occasion may require, make orders for regulating the formation, maintenance and publication of registers of nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]¹ according to their respective qualifications.
 - (2) The said registers shall be kept in such form or forms as may be prescribed.

Registrar's functions in respect of registers

- 18. (1) The Registrar shall keep the registers mentioned in section 17 in accordance with the provisions of this Act and of any orders made by the Council, and shall from time to time make all the necessary alterations in the registered addresses or appointments of such nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]², and erase the names of any registered nurses, mid-wives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives or health visitors]² who may have died or ceased to live and practise in India.
 - (2) To enable the Registrar to fulfil the duties imposed upon him by sub-section (1) he may send through the post a letter to any person registered as-a nurse, midwife, assistant midwife, [an auxiliary, nurse-midwife or health visitor]³ addressed according to the registered address or appointment of such person to inquire whether he has ceased to practise or whether his appointment has been changed; and, if no answer is received to any such letter within period of six months from its dispatch, the Registrar may erase the name of such person from the register in which it is entered;

Provided that any name crased under this sub-section may be re-entered in the register under the direction of the Council.

Erasure of names from registers on notice of death

- 19. (1) Every Registrar of Deaths who receives notice of the death of any person whose name' he knows to be entered in one of the registers of nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁴ shall forthwith transmit by post to the Registrar a certificate of such death signed by him and stating particulars of the time and place of death.
 - (2) One receipt of such certificate or any other reliable information regarding such death, the Registrar shall erase the name of the de- ceased person from the register in which it is entered.

Removal of fraudulent and incorrect entries from registers 20. Any entry in the registers of nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives or health visitors]⁴ which is proved to the satisfaction of the Council to have been fraudulently or incorrectly made, may be removed under the written order of the Council:

Provided that before action is taken under this section; notice shall be given to the person concerned, whose objections, if any, shall be heard and considered.

¹⁻ Substituted by section 7 of U.P. Act No. 14 of 1960.

²⁻ Subs by s. 8 (1)(a) and 8(1)(b) ibid.

³⁻ Subs. by s. 8(2) ibid.

⁴⁻ Subs. by section 9 and section 10 ibid.

Power of Council to prohibit entry in or to direct removal from the registers etc.

- 21. (1) The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, prohibit the entry in, or direct the removal from, the registers of nurses, midwives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives or health visitors]² of the name of any nurse, midwife, assistant midwife, [auxiliary nurse-midwife or health visitor]³ for suspend, such person's registration on any of the following grounds; namely --
 - (a) that such person has been convicted by any court of any non-bailable offence, such conviction not having been subsequently set aside or the offender pardoned;
 - (b) that such person has been guilty of conduct which in the opinion of the Council indicates that she is not a fit or proper person to practise as a nurse, midwife, assistant midwife [auxiliary nurse midwife or health visitor]³;
 - (c) that there are defects in the character of such person which in the opinion of the Council would render the entry in, or the retention of , the name of such person in the registers undesirable :

Provided that no action shall be taken by the Council under this section until after due inquiry (at which an opportunity shall be given to the person concerned to be heard in defence and to appear, either in person or by counsel, vakil, pleader or attorney, and which may, in the discretion of the President of the Council be held in camera) the council by a majority of two thirds of the members present and voting at the meeting of the Council, shall find that there is ground for taking action against the person concerned.

(2) The Council may direct that the name of any person against whom an order has been passed under sub-section (1) shall be entered or re-entered or continue to be entered in the registers as the case maybe.

Appeal against order of the Council

22.

23.

Any person aggrieved by an order of the Council under section 20 or section 21 may, within three months from the date of receiving notice of such order, appeal to the [State Government]¹ against such order and the decision of the [State Government]¹ on any such appeal shall be final.

Persons entitled to be registered

The following persons shall, subject to the rules and regulations made under this Act and to the payment of such fees as may be prescribed, be entitled to have their names entered in registers of nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives or health visitors]³; namely: --

- [(a) Persons who hold qualifications in nursing or midwifery or health visiting recognized under the India Nursing Council Act, 1947;
- (b) persons who hold assistant midwifery or certified midwifery certificates of the U. P. State Medical Faculty; and

^{1.} Subs. by A. O. 1950 for Provincial Govt.

^{2.} Subs. by section 11(i) of U. P. Act XIV of 1960.

^{3.} Subs. by section 11(2) ibid.

(c) persons who may be registered as nurses, midwives, [auxiliary nurse-midwives or health visitors]⁴ under a scheme of reciprocity under the provisions of section 10 of the India Nursing Council Act, 1947 by the Indian Council of Nursing constituted under the said Act:]³

Provided that nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁴ who are at the commencement of this Act enrolled on the registers maintained by [Uttar Pradesh]² State Medical Faculty shall be entitled to have their names transferred, according to their qualifications, to the appropriate registers to be maintained under this Act.

24. $[***]^5$

25.

26.

28.

Registration not to quality for registration under U.P. Act III of 1917 The certificate of registration under this Act shall not confer upon any person any right or title to be registered under the United Provinces Medical Act, 1917 or to assume any title, name or designation implying that such person is by law recognized as a registered medical practitioner, or that he or she is entitled to grant any medical certificate or any certificate of death or still birth, or to undertake the charge of cases of abnormality or of diseases in connexion with parturition.

Disability of unregistered persons

Except with the general or special sanction of the [State Government]¹ or of any officer authorized by it in this behalf no person unless registered as a nurse, midwife, assistant midwife [an auxiliary nurse-midwife or health visitor]⁶ shall from the commencement of this Act hold in or in connexion with any dispensary, hospital, asylum, infirmary, lying-in-hospital or maternity and child-welfare centre which is supported wholly or partially out of public funds any appointment designated as that of matron, superintendent of nursing sister, staff nurse, nurse, midwife, assistant mid- wife, [an auxiliary nurse-midwife or health visitor]⁶ or indicating that the holder has been trained as a nurse, midwife, assistant midwife, [an auxiliary nurse-midwife or health visitor.]⁶

Disposal of fees 27.

All fees and other monies received by the Council under this Act shall be applied for the purposes of this Act in such manner as may be prescribed.

Publication of and presumption as to entries in annual lists (1) The Registrar shall in every year on or before a date to be fixed by the Council in this behalf, cause to be printed and published correct lists of the names for the time being entered in the registers of nurses, midwives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁶ setting forth--

^{1.} Subs. by A. O. 1950 for Provincial Govt.

^{2.} Subs. by A. O. 1950 for the United Provinces.

^{3.} Subs. by section 5 or U. P. Act XXXV of 1952.

^{4.} Subs. by section 12(ii) and 12(iii) of U. P. Act XIV of 1960.

^{5.} Del. by section 6 of U. P. Act XXXV of 1952.

^{6.} Subs. by section 13 and section 14 of U. P. Act XIV of 1960.

- (a) all names entered in the registers, arranged in alphabetical order according to surnames,
- (b) the registered address or appointment of each, person whose name is so entered in any of the registers; and
- (c) the registered qualification of each such person and the date on which such qualification was certified.
- (2) Every court shall presume that any person whose name is entered in the latest of such lists is duly registered under this Act, and that any person whose name is not entered is not registered under this Act:

Provided that in case of any person whose name does not appear in such printed lists, a certified copy signed by the Registrar and sealed with the Seal of the Council, of the entry of the name of such person in a register of nurses, midwives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives or health visitors]² shall be evidence that such person is registered under this Act; and upon the production of such evidence every court shall presume that such person is so registered:

Provided also that a certificate signed by the Registrar and sealed with the Seal of the Council, stating that the name of a person borne on the list of nurses, midwives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives or health visitors]² as the case may be, has been removed from such register and specifying the date of such removal shall be evidence that such person is not registered under this Act and of the date from which he or she ceased to be registered, and on the production of such evidence every court shall presume that such person ceased to be registered from the date specified.

The Council may, with the previous sanction, of the [State Government]¹ make such arrangements as it thinks fit for local supervision over nurses, midwives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives, and health visitors]³ registered under the Act.

Any person who -----

- (a) dishonestly makes use of any certificate of registration issued under the provisions of this Act to such or any other person;
- (b) procures or attempts to procure registration under the provisions of this Act by making or procuring or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation, whether in writing or otherwise; or
- (c) wilfully makes or causes to be made any falsification in any matter relating to the registers maintained or the certificates issued under the provisions of this Act,

shall be punishable, on conviction, with a fine which may extend to three hundred rupees.

Power to make arrangements for local supervision

30.

Penalty for dishonest use of certificate, procuring registration by false means and falsification of registers or certificate

- 1. Subs. by section 14 of U. P. Act XIV of 1960.
- 2. Subs. by the A. O. 1950 for 'Provincial Government.
- 3. Subs by section 15 of UP Act no. 14 of 1960.

Penalty on unregistered persons representing themselves to be registered 31.

Any person, who, not being registered under the provisions of this Act, assumes or uses the name or title of a registered nurse, mid-wife, assistant midwife, [an auxiliary nurse-midwife, or health visitor]³ or uses any name, title, addition description, signboard or other such thing implying that such person is a registered nurse, midwife, assistant midwife, [an auxiliary nurse-midwife, or health visitor]³ as the case may be, shall be punishable, on conviction, with a fine which may in the case of a first offence, extend to fifty rupees and, in the case of a second or any subsequent offence, to three hundred rupees.

Cognizance of offences

- 32. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon complaint made by order of the [State Government]¹ or by the Council with the previous sanction of the [State Government]¹.
 - (2) No court inferior to the court of a District Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

Rules and regulations

- 33. (1) The [State Government]¹ may from time to time, after previous publication, make [rules]² consistent with this Act, to carry out the provisions of the Act.
 - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (I), the [State Government] may make [rules]²-
 - (a) to regulate elections under this Act;
 - (b) to prescribe the form or forms of registers of nurses, mid-wives, assistant midwives [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁴ to be maintained under this Act;
 - (c) to regulate, supervise and restrict within due limits the practice of their profession by registered nurses, midwives assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health Visitors]⁴,
 - (d) to prescribe the powers duties and functions of the authorities charged with local supervision;
 - (e) to regulate the procedure to be followed by the Council ---
 - (i) in conducting any inquiry under the proviso to section 2I (I) of the Act; and
 - (ii) in withdrawing an order prohibiting or spending the entry of any name in the registers or in making a re-entry in the registers of the name of any nurse, Midwife assistant midwife, [auxiliary nurse-midwife or health visitor]⁵ whose name has been removed from the registers;

- 1- Subs by the A. O. 1950 for (Provincial Government).
- 2- For rules see notification no. 3914/V-308-38,d. Jan. 5, 1939.
- 3- Subs. by section 16 of U. P. Act XIV of 1960.
- 4- Subs. by section 17 (i) (a) ibid.
- 5- Subs by section 17 (11) ibid.

- (f) to regulate the procedure to be followed in disposing of appeals from the decisions of the council; and
- (g) to regulate the application of fees and other monies received by the council under or for the purposes of this Act.
- (3) In addition to the powers conferred by section 14 the Council may, with the previous sanction of the [State Government] make regulations --
 - (a) to regulate the maintenance of registers and the conditions of admission thereto under section $23 [***]^2$ and to prescribe the form of application for such admission
 - (b) to regulate the conduct [of examinations for nurses, mid-wives, assistant midwives]³ [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁴ or of any [other]⁵ examinations which may be prescribed as a condition of admission to the register and any matters ancillary to or connected with any such examinations:
 - (c) to prescribe the travelling and other expenses, pay-entry of names erased or removed from the register;
 - (d) to regulate the publication of annual lists of registered nurses, midwives, assistant midwives, [auxiliary nurse-midwives and health visitors]⁴;
 - (e) to prescribe the travelling and other expenses payable to the members of the Council or Committees;
 - (f) to regulate the accounts of the Council and their audit, and
 - (g) generally to provide for any matters with respect to which the Council think provision should be made for the purposes of this Act, and to prescribe anything which under this Act is to be prescribed.
- (4) All rules and regulations made under this Act shall be published in the [Official Gazette.]⁶
- Certain persons to be public servants Act 45 of 1860

35.

34. Every person appointed under sub-sections (1) and (2) of section 16 shall be deemed to be a public servant within the meaning, of section 21 of the Indian Penal Code.

Procedure in inquiries and appeals Act 1 of 1872 For the purpose of any inquiry held under section 21 the Council shall be deemed to be a court within the meaning. of the Indian Evidence Act, 1872, and shall exercise the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 and every such inquiry shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 10 of the said Public Servants (Inquiries) Act, 1850.

¹⁻ Subs. by A. O. 1950 for "Provincial Government."

The words and figures 'and section 24' deleted by section 7 of U.P. Act No. 35 of

³⁻ Ins. by section 5 (i) of U. P. Act XVI of 1948.

⁴⁻ Subs, by s, 17 (ii) of U. P. Act XIV of 1960.

⁵⁻ Ins. by section 5 (ii) of U. P. Act XVI of 1948.

⁶⁻ Subs, for (U. P. Govt. Gazette) by the A. O. 1937.

[Section 36-37]

[The United Provinces Nurses, Midwives, Assistant Midwives, [Auxiliary Nurse-Midwives and Health Visitors] Registration Act, 1934]

Bar to suit and legal proceedings

36. No suit or other legal proceedings shall lie in respect of an act done in good faith in the exercise of a power conferred by this Act on the [State Government]¹ the Councilor the Registrar.

Control of 37.
Council by
State
Government

If at anytime it shall appear to the [State Government]¹ that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused power conferred upon it by or under this Act or has failed to perform a duty imposed upon it by or under this Act, the [State Government]¹ may if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such default, excess or abuse, within such time as the [State Government]¹ may fix in this behalf, the [State Government]¹ may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such agency and for such period as it may think fit:

Provided that it shall take steps as soon as may be convenient to constitute a new, Council in accordance with the terms of section 4.